द्वितीय सदस्य, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, गोहद, जिला भिण्ड (म0प्र0) (समक्ष— मोहम्मद अजहर)

<u>क्लेम प्रकरण क. 12/16</u> संस्थित दिनांक 12.02.2016

> जगदीश आयु 42 साल पुत्र तुलसीराम जाति पण्डा निवासी वार्ड नं.—07 नहर मोहल्ला गोहद तहसील गोहद जिला भिण्ड म0प्र0

> > <u>आवेदक</u>

<u>बनाम</u>

- राघवेन्द्र शर्मा पुत्र रामप्रकाश श्र्मा आयु 30 साल जाति ब्राह्म्ण निवासी वार्ड नं—17 गोहद चौराहा तहसील गोहद जिला भिण्ड चालक वाहन बुलेरो कमांक एम.पी.—30 जी—0558
- 2. जितेन्द्र शर्मा पुत्र रामप्रकाश शर्मा आयु 32 साल जाति ब्राहम्ण निवासी शांतीनगर वार्ड नं.—17 गोहद चौराहा तहसील गोहद जिला भिण्ड मालिक वाहन बुलेरो कमांक एम.पी.—30 जी—0558
- 3. द न्यू इंडिया इन्श्योरेंस कंपनी लिमिटेड गुरूद्वारे के पास मोती महल ग्वालियर म०प्र०बीमा कंपनी

.....<u>अनावेदकगण</u>

आवेदक द्वारा श्री जी.एस. निगम अधिवक्ता अनावेदक कमांक—1 व व 2 द्वारा श्री जगदीश सिंह राणा अधिवक्ता। अनावेदक कमांक—3 द्वारा श्री आर.के. बाजपेयी अधिवक्ता।

/ <u>/ अधि—नि र्ण य</u> / / (<u>आज दिनांक 18.05.2017 को पारित</u>)

1. यह क्लेम याचिका धारा 166 सहपठित धारा 140 मोटरयान अधिनियम 1988 के तहत दिनांक 13 एवं 14.11.15 की मध्य रात्रि में ग्राम रसनौल मस्तबाबा की जग्गा के आगे हुई मोटर वाहन दुर्घटना में आवेदक को आई चोटें से उत्पन्न स्थाई निशक्तता के फलस्वरूप अनावेदकगण से संयुक्त रूप से अथवा पृथक-पृथक रूप से क्षतिपूर्ति की राशि 1,80,000/-रूपए ब्याज सहित दिलवाये जाने हेतु प्रस्तुत की गई है।

- क्लेम याचिक के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 13.11.15 2. को आवेदक जगदीश अपने चचेरे भाई संतोष, विष्णु एवं दीपक के साथ रतनगढ़ मेला से माता के दर्शन करके अपने घर आ रहे थे। जैसे ही वे लोग ग्राम रसनौल मस्तराम बाबा की जग्गा के पास आए तो पीछे से अनावेदक कमांक 01 ने लोडिंग बुलेरों कमांक एम.पी.-30-जी.-0558 को तेजी व लापरवाही से चलाकर आवेदक को टक्कर मारते हुए उसके दाहिने पैर के ऊपर गाडी का पहिया चढा दिया। जिससे उसका दाहिने पैर एड़ी के पास से दो जगह से टूट गया। घटना की रिपोर्ट संतोष ने की। जिस पर से प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। आवेदक को इलाज हेत् सामुदायिक स्वस्थ्य केन्द्र गोहद भेजा गया। चोट अत्यधिक होने के कारण उसे जे.ए. अस्पताल रैफर कर दिया गया। दिनांक 04.12.15 तक आवेदक ने जे.ए. अस्पताल में भर्ती रहकर इलाज कराया। आवेदक के दाहिने पैर की एड़ी के दोनो तरफ हेंड्डी टूट जाने के कारण प्लेटें डली हुई है। दुर्घटना से पूर्व आवेदक हलवाई का कार्य करके मेले आदि में दुकान लगाकर 10,000/-रूपए प्रतिमाह कमाता था। उक्त दुर्घटना में आई चोटों से उसे स्थाई निशक्तता आ गई है। जिससे वह अपने कार्य नहीं कर पा रहा है और उसे आय का नुकसान हो रहा है। दुर्घटना दिनांक को अनावेदक क्रमांक 02 उक्त प्रश्नगत वाहन बुलेरो की पंजीकृत स्वामी था तथा उक्त वाहन अनावेदक क्रमांक 03 की बीमा कंपनी में समस्त दायित्वों के लिए बीमित था। अनावेदक क्रमांक 01 ने अनावेदक क्रमांक 02 के नियोजन में रहते हुए उक्त दुर्घटना कारित की है। उक्त आधारों पर क्षतिपूर्ति राशि दिलाई जाने की प्रार्थना की है।
- अनावेदक क्रमांक 01 व 02 की ओर से क्लेम याचिका का लिखित उत्तर प्रस्तुत करते हुए आवेदक के अभिवचनों का सामान्य और विनिर्दिष्ट प्रत्ख्यान किया है तथा यह अभिवचन किया है कि अनावेदक क्रमांक 01 के द्व ारा दिनांक 13.11.15 को कोई भी दुर्घटना कारित नहीं की गई है, गलत रूप से क्लेम पाने के उद्देश्य से झूठी रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। अपराध से अनावेदकगण का कोई संबंध नहीं है। आवेदक या उसके परिवार के सदस्यों के द्वारा रिपोर्ट थाना गोहद में दर्ज कराई गई है। परंतु दुर्घटना क्षेत्र थाना मौ के अंतर्गत होने से थाना मौ में रिपोर्ट क्यों नहीं दर्ज कराई गई। इसका कोई कारण नहीं बताया गया है। प्रश्नगत वाहन अनावेदक क्रमांक 03 की बीमा कंपनी में बीमित होने से अनावेदक क्रमांक 01 व 02 का कोई दायित्व

नहीं है। क्लेम याचिका निरस्त किए जाने की प्रार्थना की है।

- 4. अनावेदक क्रमांक 03 बीमा कंपनी की ओर से क्लेम याचिका का लिखित उत्तर प्रस्तुत करते हुए आवेदक के अभिवचनों का सामान्य और विनिर्दिष्ट रूप से प्रत्ख्यान किया गया है। विशेष आपित में यह अभिवचन किया है कि यदि दुर्घटना दिनांक को उक्त प्रश्नगत वाहन से दुर्घटना होना, अनावेदक क्रमांक 01 का चालक होना, अनावेदक क्रमांक 02 का वाहन स्वामी होना सिद्ध होता है तो यह आपित की गई है कि घटना स्वयं आवेदक की लापरवाही व उपेक्षा से घटित हुई है। प्रश्नगत वाहन माल यान वाहन होने से चालक के पास उसे चलाने का वैध एवं प्रभावी ड्रायविंग लाइसेंस, रूट परिमेट, एवं फिटनेस प्रमाणपत्र न होने से बीमा संविदा की शर्तों का उल्लंघन किया गया है। आवेदक व अनावेदक क्रमांक 01 व 02 के द्वारा दुरिमसंधि कर ली गई है। क्लेम याचिका निरस्त किए जाने की प्रार्थना की गई है।
- उभयपक्ष की ओर से प्रस्तुत अभिवचनों एवं प्रलेखों के आधार पर मेरे पूर्व विद्वान पदाधिकारी के द्वारा निम्नलिखित वादप्रश्न निर्मित किए गये, जिनके निष्कर्ष साक्ष्य की विवेचना के आधार पर उनके सामने लिखे जा रहे है:--

A 1	
1. क्या अनावेदक क्रमांक 01 द्वारा अनावेदक प्रमाणित	
क्रमांक 02 के स्वामित्व की लोडिंग बुलेरो 🔨	
कमांक-एम.पी30-जी0558 को दिनांक 14.11.	
15 की दरम्यानी रात करीब 02:30ए.एम. बजे ग्राम	
रसनौल मस्तराम महाराज जी जग्गा के पास	
उपेक्षा पूर्वक या उतावलेपन से चलाकर आवेदक	
को टक्कर मारकर दुर्घटना कारित कर गंभीर	
उपहति कारित की ?	
2. क्या, आवेदक उक्त कथित दुर्घटना में पहुंची आवेदक 64,491 / – रूपए की	Г
क्षतियों की पूर्ति के लिए अनावेदकगण से क्षतिपूर्ति की राशि एवं उस प	
क्षतिपूर्ति राशि पाने का पात्र है, यदि हां तो ब्याज आवेदन प्रस्तुति दिनांक	से
किस–किस से और कितनी–कितनी राशि ? प्राप्त करने का अधिकारी है।	
3. क्या अनावेदक क्रमांक-01 व 02 द्वारा उक्त अप्रमाणित	
वाहन की बीमा पॉलिसी की शर्तों का उल्लंघन	
कियसा है ?	
4. अन्य अनुतोष ?	Ť
स्वीकार की गई।	

<u>-:सकारण निष्कर्ष:-</u>

वाद प्रश्न कमांक-01 :-

- 6. जगदीश आ०सा०-01 ने यह बताया है कि दिनांक 13 एवं 14.11.15 की मध्य रात्रि में रात्रि के 02:30 बजे के लगभग वह अपने भाई संतोष, विष्णु एवं दीपू के साथ रतनगढ़ माता के मेला से दर्शन करके घर के लिए वापस आ रहे थे। जैसे ही ग्राम रसनौल के पास मस्तराम बाबा की टेकरी के पास आए तो पीछे से अनावेदक क्रमांक 01 राघवेन्द्र शर्मा बुलेरो लोडिंग क्रमांक एम.पी.-30-जी-0558 को तेजी व लापरवाही से चलाकर लाया और उसके दाहिने पैर पर गाड़ी का पहिया चढ़ा दिया। जिससे दाहिने पैर व एड़ी में दो जगह फेक्चर हो गया। जिसकी रिपोर्ट चचेरे भाई संतोष ने थाना गोहद में की। उसे पहले गोहद इलाज हेतु लाया गया, फिर ग्वालियर जे.ए. अस्पताल रैफर किया गया। उसके पैर में स्थाई विकलांगता आ गई है।
- 7. जगदीश आ०सा०-01 की साक्ष्य की पुष्टि करते हुए विष्णु पण्डा आ०सा०-02 ने दिनांक 13.11.15 को रात्रि 02:30 बजे बुलेरो लोडिंग गाड़ी कमांक एम.पी.-30-जी-0558 को तेजी व लापरवाही से चलाकर जगदीश का टक्कर मारना तथा जगदीश के दाहिने पैर में दो जगह फ्रेक्चर होना और उसके व संतोष के द्वारा जगदीश को उठाकर इलाज के लिए सामुदायिक स्वस्थ्य केन्द्र गोहद लाया जाना एवं संतोष के द्वारा रिपोर्ट लिखाया जाना बताया है।
- 8. आवेदक की ओर से उक्त संबंधित अपराधिक प्रकरण के दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतिलिपियां प्र0पी0—01 लगायत प्र0पी0—08, जप्तीपंचनामा प्र0पी0—09, सुपुर्दगीनामा प्र0पी0—17 प्रस्तुत किए गए है। प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र0पी0—03 का अध्ययन करने से स्पष्ट है कि रिपोर्ट थाना गोहद पर की गई थी। घटना रात्रि 02:30 बजे की है, और रिपोर्ट सुबह 07:10 बजे की गई है। जिसमें लोडिंग बुलेरो कमाक एम.पी.—30—जी—0558 के चालक राघवेन्द्र शर्मा के द्वारा उक्त वाहन के लहराकर तेजी व लापरवाही से चलाकर जगदीश के पैर पर टायर चढ़ा देना एवं जगदीश के दाहिने पैर की पिंडली, टखना तथा पंजे में चोट लगकर खून निकलने के तथ्य है, जिससे कि आवेदक एवं उसके साक्षी की इस साक्ष्य की पुष्टि होती है कि राघवेन्द्र शर्मा के द्वारा उपेक्षा अथवा उतावलेपन से वाहन को चलाकर जगदीश को टक्कर मार दी

गई।

- प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र0पी0-03 में कॉलम नंबर 08 में विलंब का 9. कारण ''साधन न होने से'' लिखा हुआ है। जहां कि दुर्घटना रात्रि 02:30 बजे की है और सुबह 07:10 बजे रिपोर्ट लिखा दी गई है। वहां इतना विलंब होना प्रकट नहीं होता है। अनावेदक कमांक 01 व 02 की ओर से यह आपित्त की ली गई है कि दुर्घटना क्षेत्र थाना मौ के अंतर्गत है, तब थाना मौ में रिपोर्ट क्यों नहीं कराई गई। आपराधिक प्रकरण के दस्तावेजों का अध्ययन करने से स्पष्ट है कि आवेदक जगदीश पण्डा एवं उसके साथ आने वाले संतोष पण्डा, विष्णु पण्डा, दीपक पण्डा सभी क्रमांशः वार्ड क्रमांक 07 एवं 08 गोहद के निवासी है। तब ऐसी स्थिति में जहां कि उन्हें अपने घर वापस आना था और इस दौरान दुर्घटना हो गई थी, तब वापस पीछे लौटकर थाना मौ की तरफ जाकर रिपोर्ट लिखवाया जाना अस्वभाविक प्रतीत होता है और आवेदक पक्ष की ओर से अपनी सुविधा अनुसार अपने निवास क्षेत्र में थाना गोहद में रिपोर्ट लिखा दी गई है। जिसमें कोई अवैधानिकता होना प्रकट नहीं होती है, क्योंकि आवेदक जगदीश को गोहद के ही सामुदायिक स्वस्थ केन्द्र पर ले जाया गया है और वहीं उसकी एम.एल.सी. तथा एक्सरे हुआ है। ऐसी स्थिति में थाना गोहद में रिपोर्ट करना कोई अवैधानिकता प्रकट नहीं करता है।
- 10. इस मामले में आवेदकगण की ओर से खण्डन में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है। इस प्रकार दुर्घटना होने तथा आवेदक का चोटें आने के संबंध में आवेदक की साक्ष्य अखण्डनीय है। अनावेदक क्रमांक 01 ने स्वयं इस अधिकरण के समक्ष उपस्थित होकर दुर्घटना के संबंध में आवेदक की साक्ष्य का कोई खण्डन नहीं किया है। पुलिस थाना मों के द्वारा अनावेदक क्रमांक 01 राघवेन्द्र शर्मा के विरुद्ध प्रथम दृष्टि में अपराध पाते हुए धारा—279, 337 एवं 338 भाठदंठसंठ के तहत अभियोगपत्र प्रस्तुत किया है। इससे भी इस तथ्य की पुष्टि होती है कि राघवेन्द्र शर्मा द्वारा उक्त बुलेरों को उपेक्षा अथवा उतावलेपन से चलाकर उक्त दुर्घटना कारित की गई। प्रथम सूचना रिपोर्ट में भी वाहन के चालक राघवेन्द्र का नाम है। जगदीश आठसा0—01 ने प्रतिपरीक्षण के पैरा—06 में यह बताया है कि वह राघवेन्द्र शर्मा को 12—13 वर्षों से जानता है, जो कि गोहद वाली रोड पर गोहद चौराहे पर निवास करता है।

- 11. अतः ऐसी स्थिति में यह स्वभाविक तथ्य है कि राघवेन्द्र शर्मा को जानते हुए उसके विरूद्ध तत्समय ही उसके नाम से रिपोर्ट की गई है। जहां तक कि आवेदक को आई स्थाई निशक्तता का तथ्य है, जगदीश आ०सा0—01 ने दाहिने पैर में स्थाई विकलांगता आना बताया है। उसने प्र0पी0—10 एवं 11 के विकलांगता प्रमाणपत्र प्रस्तुत किए हैं। परंतु न्यायदृष्टांत कमल कुमार जैन विरूद्ध ताजुद्दीन और अन्य ए आई आर 2004 (एम पी) 212 में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि चोट को या अस्थि भंग को स्थाई अपंगता की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता, जब तक की चिकित्सक के द्वारा वैज्ञानिक परीक्षण कर यह निष्कर्ष न निकाला गया हो कि वास्तव में आई हुई चोट से किसी प्रकार की अपंगता आई है। इस मामले में आवेदक की ओर से चिकित्सीय साक्षी की साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है कि आवेदक को कोई स्थाई निशक्तता कारित हुई। अतः ऐसी स्थिति में आवेदक को स्थाई निशक्तता कारित होना प्रकट और प्रमाणित नहीं है।
- 12. न्याय दृ0 **भइया लाल बनाम सुरेश कुमार एवं अन्य 2009** (1) ए.सी.टी. 28 में मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय खण्डपीठ जालियर की एकल पीठ के द्वारा यह अभिनिर्धारित किया कि प्रमाणपत्र किसी इलाज करने वाले चिकित्सक द्वारा जारी नहीं किया गया और आवेदक के द्वारा उसे साबित करने के लिए कोई चिकित्सक का परीक्षण नहीं कराया गया है। अतः ऐसी स्थिति में स्थाई निशक्तता कारित होना प्रमाणित नहीं होता, यही स्थिति इस प्रकरण में भी है। विकलांगता प्रमाणपत्र प्र0पी0-10 एवं 11 का अध्ययन करने से स्पष्ट है कि उक्त प्रमाणपत्र डॉक्टर एच.डी. गुप्ता एवं डॉक्टर यू.पी.एस. कुशवाह द्वारा जारी किया गया है। परंतु अभिलेख पर ऐसी कोई साक्ष्य ही नहीं है कि इन दोनों के द्वारा आवेदक का कोई इलाज किया गया हो। जहां तक आवेदक को आई चोटों का प्रश्न है। उसकी ओर से डिस्चार्ज टिकट प्र0पी0—16 एवं प्र0पी0—18 लगायत 32 को चिकित्सीय दस्तावेज प्रस्तुत किए गए है। अपराधिक प्रकरण के दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतिलिपि में प्र0पी0-05 की एम.एल.सी. एवं प्र0पी0-06 की एक्सरे परीक्षण रिपोर्ट का अध्ययन करने से स्पष्ट है कि आवेदक को सीधे पैर में एवं सिर में चोट आई है। सीधे पैर का एक्सरे करने पर टिबिया एवं फिबुला हिंडियों का फ्रेक्चर आया है। जिससे कि प्रकट है कि उसे दो अस्थिभंग होकर गंभीर उपहति कारित हुई

है।

वादप्रश्न कमांक 03

- 13. यह वादप्रश्न बीमा पॉलिसी की शर्तों के उल्लंघन के संबंध में है अनावेदक क्रमांक 03 बीमा कंपनी ने अपने लिखित उत्तर में पैरा—17 में यह आपित ली है कि दुर्घटना दिनांक को बुलेरो माल वाहक यान के रूप में था। जिसे चलाने हेतु वैध एवं प्रभावी ड्रायविंग लाइसेंस, रूट परिमट एवं फिटनेस प्रमाणपत्र अनावेदक क्रमांक 01 के पास नहीं था, जो कि बीमा पॉलिसी की शर्तों का उल्लंघन है। परंतु इस संबंध में अनावेदक क्रमांक 03 की और से कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है। अंतिम तर्क के समय भी कोई ब्रीच न होना प्रकट किया है। अनावेदक क्रमांक 03 की ओर से केवल और केवल प्र0डी0—01 की बीमा पॉलिसी प्रस्तुत की गई है।
- 14. अपराधिक प्रकरण के दस्तावेजों में से जप्ती पंचनामे का अध्ययन करने से स्पष्ट है कि अनावेदक क्रमांक 01 राघवेन्द्र शर्मा के आधिपत्य से बीमा, फिटनेस एवं ड्रायविंग लाइसेंस की फोटो प्रतियां जप्त की गई है। जहां कि बीमा कंपनी की ओर से आपितत लेने के बावजूद इस संबंध में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है, तब निश्चित तौर पर यह मान्य किया जाएगा कि बीमा संविदा की शर्तों का कोई उल्लंघन नहीं हुआ है। अतः यह प्रमाणित नहीं होता है कि अनावेदक क्रमांक 01 व 02 ने बीमा पॉलिसी की शर्तों का उल्लंघन किया है।

वादप्रश्न कमांक-02

- 15. उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह प्रकट और प्रमाणित है कि अनावेदक कमांक 01 ने अनावेदक कमांक 02 के नियोजन में रहते हुए दिनांक 13 एवं 14.11.15 की मध्य रात्रि 02:30 बजे के लगभग प्रश्नगत वाहन बुलेरो कमांक एम.पी.—30—जी.70558 को उपेक्षा अथवा उतावलेपन से चलाकर आवेदक को टक्कर मारकर उसे गंभीर उपहित कारित की तथा दुर्घटना दिनांक को उक्त वाहन अनावेदक कमांक 03 की बीमा कंपनी में बीमित था, जैसा कि प्र0डी0—01 से स्पष्ट है। अतः ऐसी स्थिति में आवेदक अनावेदकगण से क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त करने का अधिकारी है।
- 16. डिस्चार्ज टिकट प्र0पी0-16 का अध्ययन करने से स्पष्ट है कि

आवेदक जे.ए. अस्पताल में दिनांक 17.11.15 से 04.12.15 तक भर्ती रहा है और इससे पूर्व गोहद में इलाज कराया है। इस प्रकार आवेदक लगभग 21 दिवस भर्ती रहा है और उसने अपना इलाज कराया है। उसका ओ.आर. आई.एफ. किया गया है तथा ट्यूबलर प्लेटिंग आदि की गई है। अतः ऐसी स्थिति में आवेदक को मानसिक वेदना एवं शारीरिक पीडा के मद में 35,000/—रूपए की राशि दिलाई जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। जो उसे दिलाई जाती है।

- 17. आवेदक जगदीश आ०सा०-०1 ने हलवाई का कार्य करके 10,000-15,000 / -रूपए मासिक आय अर्जित करना बताया है। परंतु प्रतिपरीक्षण के पैरा-08 में उसने बताया है कि उसने हलवाई का कार्ड प्रकरण में पेश नहीं किया है। आवेदक की ओर से अन्य किसी की साक्ष्य नहीं कराई गई है कि आवेदक हलवाई का कार्य करके 10,000-15,000 / -हजार रूपए की आय अर्जित करता था। ऐसा कोई रजिस्टर, हिसाब, किताब भी प्रस्तुत नहीं किया है कि आवेदक हलवाई का कार्य करके 10,000-15,000 / -रूपए मासिक आय अर्जित करना प्रमाणित नहीं होता है।
- 18. वर्तमान में प्रचलित न्यूनतम मजदूरी की दर अकुशल श्रमिक के हिसाब से लगांए तथा यह भी मान्य करे कि कम से कम 20—25 दिवस कार्य करता है। तब भी कम से कम 5,000/—रू. आय प्रतिमाह की दर से होती है। न्यूनतम मजदूरी की दर तथा मंहगाई, आवश्यकता तथा अन्य सम्पूर्ण परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए आवेदक की मासिक आय 5,000/—रू. मान्य की जाती है।
- 19. आवेदक के दाहिने पैर में टिबिया एवं फिबुला हड्डी का फ्रेक्चर होकर उसका ऑपरेशन हुआ है तथा प्लेटिंग की गई है। अतः ऐसी स्थिति में यह निश्चित है कि वह तीन माह तक अपने सामान्य कार्य करने से विरत रहा होगा। अतः ऐसी स्थिति में उसे तीन माह की आय की हानि दिलाई जाना न्यायोचित हैं, जो कि 15,000/—रूपए होती है, उक्त राशि आवेदक को दिलाई जाती है। आवेदक 21 दिवस भर्ती रहा है और उसने इलाज कराया है। आवेदक गोहद का निवासी है और ग्वालियर जे.ए. अस्पताल में वह भर्ती रहा है और उसका इलाज हुआ है।

- 20. आवागमन के संबंध में उसके द्वारा प्र0पी0—21 की रसीद प्रस्तुत की गई है, जो एम्बूलेंस की है जो दिनांक 04.12.15 की है। प्र0पी0—12 एवं प्र0पी0—13 की रसीदें 1,500—1,500/—रूपए की 25.02.16 एवं 13.02.16 की हैं, जो कि गोहद से ग्वालियर जाने आने की हैं। प्र0पी0—15 का जे.ए. अस्पताल का पर्चा दिनांक 25.02.16 का है। जिसके संबंध में प्र0पी0—12 की रसीद है। प्र0पी0—32 जे.ए. अस्पताल का पर्चा है जो दिनांक 04.01.16 का है। इस प्रकार स्पष्ट है कि आवेदक के द्वारा जे.ए. अस्पताल जाकर लगातार इलाज कराया गया है। अतः आवागमन एवं परिवहन के व्यय के रूप में कुल राशि 3,800/—रूपए दिलाई जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। आवेदक को उक्त राशि दिलाई जाती है। आवेदक 21 दिवस अस्पताल में भर्ती रहा है, तब निश्चित तौर पर कुछ न कुछ विशेष आहार लिया होगा। विशेष आहार के रूप में 2,000/—रूपए की राशि दिलाई जाती है।
- 21. आवेदक लगभग तीन माह तक अपने सामान्य कार्य करने से विरत रहा है। उसके सीधे पैर में प्लेटिंग हुई है, तब ऐसी स्थिति में निश्चित है कि किसी न किसी ने उसे अटेण्ड किया है। अटेण्डर स्वरूप उसे 7,000/-रूपए की राशि दिलाई जाती है।
- 22. इलाज के व्यय के रूप में प्र0पी0—18 की रसीद 100/—रूपए की, प्र0पी0—24 का केशमेमो 100/—रूपए का, प्र0पी0—25 की रसीद 30/—रूपए की, प्र0पी0—26 की रसीद 20/—रूपए की, प्र0पी0—28 की रसीद 496/—रूपए की, प्र0पी0—29 की रसीद 920/— रूपए की है। उक्त कुल राशि 1,691/—रूपए होती है। जो इलाज के व्यय के रूप में दिलाई जाती है। प्र0पी0—19, प्र0पी0—20, प्र0पी0—22 आदि एस्टीमेट है, जिनकी राशि नहीं दिलाई जा सकती है।
- 23. इस प्रकार आवेदक अनावेदकगण ने संयुक्त रूप से अथवा प्रथक-प्रथक रूप से निम्न प्रकार से राशि प्राप्त करने के अधिकारी है:-

क्रमांक	मद	राशि
1	मानसिक वेदना एवं शारीरिक पीड़ा के मद में	35,000 / —रूपए
2.	आय की हानि	15,000 / —रूपए
3.	विशेष आहार में व्यय राशि	2,000 / —रूपए
4.	अटेण्डर व्यय की राशि	7,000 / —रूपए
5.	आवागमन एवं परिवहन के व्यय की मद में	3,800 / —रूपए

6.	इलाज का व्यय	A 1)		1,691 / —रूपए
		The Paris		
		ale A	कुल राशि	64,491 / —रूपए

वादप्रश्न कमांक-04 सहायता एवं वादव्ययः-

- 24. उपरोक्त विवेचना के आधार पर आवेदक अपनी क्लेम याचिका आंशिंक रूप से प्रमाणित करने से सफल रहा है। अतः क्लेम याचिका आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए आवेदक के पक्ष में तथा अनावेदकगण के विरूद्ध निम्न आशय का अधिनिर्णय पारित किया जाता है:-
 - 1. अनावेदकगण आवेदक को क्षतिपूर्ति राशि 64,491 / (चौंसठ हजार चार सौ इंक्यानवे) रूपए अधिनिर्णय दिनांक 18.05.17 से दो माह की अविध में अदा करें।
 - 2. अनावेदकगण, आवेदक को क्षतिपूर्ति राशि पर आवेदन प्रस्तुति दिनांक 12.02.16 से संपूर्ण राशि की अदायगी तक 7.5 प्रतिशत वार्षिक की दर से साधारणा ब्याज भी अदा करें।
 - 3. क्षतिपूर्ति राशि अदा करने का प्रथम दायित्व बीमा कंपनी अनावेदक क्रमांक 03 पर होगा।
 - 4. आवेदक को प्राप्त होने वाली उपरोक्त क्षतिपूर्ति राशि 64,491/—(चौंसठ हजार चार सौ इंक्यानवे) रूपए एवं उस पर ब्याज की राशि आवेदक को बैंक के माध्यम से नकद प्रदान की जावे।
 - 5. अनावेकगण अपना स्वयं का तथा आवेदक का वाद व्यय वहन करेंगे। अभिभाषक शुल्क 1,000 / —रूपए निर्धारित किया जाता है। उक्तानुसार व्यय तालिका बनायी जावे।

अधिनिर्णय न्यायालय में दिनांकित एवं भेरे निर्देशन में टंकित किया गया। हस्ताक्षरित कर पारित किया गया

(मोहम्मद अज़हर) द्वितीय सदस्य मो.दु.दावा अधि. गोहद, जिला भिण्ड

(मोहम्मद अज़हर) द्वितीय सदस्य मो.दु.दावा.अधि. गोहद, जिला भिण्ड